*कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,*
*टिहरी वन प्रभाग,*
*नई टिहरी।*

*फोन/फैक्स : 01376–232077,*
*ई:मेल :*
*dfotehri_ua@rediffmail.com*

*पत्रांक :* 388 / 12-1 *नई टिहरी, दिनांक–* 20/8/ *2018*

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
चम्बा, टिहरी गढवाल।

विषयः– **जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत कान्सी से नाला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.831 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन पत्रावली सं0–FP/UK/ROAD/20117/2016)**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/25/2018/एफ0सी0/695, दिनांकः–06–07–2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांकः–171/FP/UK/ROAD/20117/2016, दिनांकः–18–07–2018।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत कान्सी से नाला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.831 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन प्रस्तुत किया जायेगाः–

1– **शासन की शर्त सं0–01** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 910 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) मु0:–10,01,000.00 (दस लाख एक हजार रूपये मात्र) जमा किया जायेगा। मांग की गई धनराशि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः–

**<u>रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण हेतु धनराशि की मांग का आंकलन</u>**

1–हस्तान्तरण हेतु कुल आवेदित वन भूमि – 0.831 है0
2–रोपण हेतु प्रस्तावित वृक्षों की सं0–910 वृक्ष
3–रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु दर प्रति वृक्ष– 1100.00 (एक हजार एक सौ रू0 मात्र)
4–रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण कुल मांग – 910 कि0मी0X1100=10,01,000.00

**(दस लाख एक हजार रूपये मात्र)**

2– **शासन की शर्त सं0–02** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांकः–05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि मु0–5,45,967.00 (पांच लाख पैन्तालिस हजार नौ सौ सड्सठ रूपये मात्र) जमा किया जायेगा। मांग की गई धनराशि का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार हैः–

**<u>शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि का आंकलन</u>**

1–ईको–क्लास श्रेणी – V
2–हरियाली का घनत्व– 0.3
3–एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रूपये– 6,57,000.00 (छः लाख, सत्तावन हजार, रूपये मात्र)
4–आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 0.831 है0
5–कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–0.831है0X6,57,000.00=**5,45,967.00**

**(पांच लाख पैन्तालिस हजार नौ सौ सड्सठ रूपये मात्र)**

क्रमशः––2––

3— **शासन की शर्त सं0–03** के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जायगी।

4— **शासन की शर्त सं0–04** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost/Road Side Plantation cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किया जायेगा। अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में माान्य नही होगी।

5— **शासन की शर्त सं0–05** के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।

6— **शासन की शर्त सं0–06** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा will take all the measures for proper muck disposal and submit the undertaking duly signed by User Agency.

अतः शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन लाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी